



DK 362281

अनुबंध पत्र

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13 APR 2017

मुख्य पक्ष-

अतिथी पक्ष-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, स्वास्थ्य समिति, अलीगढ़।

श्री डालचंद, मै0 भारत ट्रेवलिंग एजेंसी, मानिक चौक, अलीगढ़। (सेवा प्रदाता)

यह अनुबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, अलीगढ़ द्वारा "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम" के संचालन के लिये वाहन उपलब्ध कराने हेतु किया गया। इस अनुबंध की अवधि 15 अप्रैल 2018 से 04 माह तक अथवा अगली निविदा होने तक होगी। जी भी पहले

द्वितीय पक्षकार श्री डालचंद, मै0 भारत ट्रेवलिंग एजेंसी, मानिक चौक, अलीगढ़। (सेवा प्रदाता) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु जनपद के समस्त ब्लॉकों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जनपद मुख्यालय पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम में पर्यवेक्षण हेतु प्रति ब्लॉक 01 (एक) वाहन एवं जनपद मुख्यालय पर 02 (दो) वाहन उपलब्ध करायेगा। द्वितीय पक्षकार को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा-

- 1- द्वितीय पक्षकार को अनुबंध किये जाने के एक सप्ताह के अन्दर जनपद के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जनपद मुख्यालय पर वाहन उपलब्ध कराना होगा।
- 2- द्वितीय पक्षकार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जनपद मुख्यालय पर, पर उपलब्ध कराये गये वाहन को बदलने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- 3- द्वितीय पक्षकार को वाहन माह में न्यूनतम 25 दिन हेतु तथा वाहन टैक्सी परमिट, ईंधन, वाहन चालक एवं जी0पी0एस0 नेवीगेशन सुविधा सहित उपलब्ध कराना होगा, जिस हेतु उसे उसके साथ पूर्व में हुए अनुबंध के अनुसार प्रति वाहन प्रतिमाह रू0 29800-00 (सभी कर सहित) देना होगा। वाहन में पर्यवेक्षण दल के सुगमता से बैठने हेतु पर्याप्त स्थान होना चाहिये।
- 4- वाहन में यात्रा हेतु पर्याप्त ईंधन होना आवश्यक है, इस हेतु कभी भी वाहन उपयोगकर्ता से नहीं कहा जायेगा।
- 5- द्वितीय पक्ष को चिकित्सा दल हेतु वाहन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रतिदिन 08 घण्टा अथवा चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी अधिकारी के निर्देश अनुसार उपलब्ध कराना होगा। वाहन प्रतिमाह 1000 किमी तक चलाया जायेगा।
- 6- वाहन का आवश्यक रख-रखाव, साफ-सफाई, सीट कवर एवं 24 घण्टे चालू हालत में रखने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्षकार का होगा। नियमित जाँच/वाहन की सर्विस हेतु वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार द्वारा वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा जिसकी सूचना नियंत्रक अधिकारी को एक दिन पूर्व देना



अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार पर रू0 1000-00 (रू0 एक हजार मात्र) प्रतिदिन प्रतिवाहन की दर से अर्धदण्ड आधिरोपित करने का अधिकार होगा और वैकल्पिक व्यवस्था पर हुए व्यय को भी द्वितीय पक्षकार से वसूला जायेगा। वाहन की छोटी टूट-फूट की मरम्मत द्वितीय पक्षकार को 24 घण्टे में कराना होगी।

7- वाहन एवं वाहन चालक के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना, वाहन पंजीकरण संख्या, टैक्सी परमिट संख्या/वैधता, वाहन चालक का नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर द्वितीय पक्षकार को अनुबंध के एक सप्ताह के अन्दर प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

8- उपलब्ध कराये गये वाहन के चालक के पास वैध वाहन चालन लाईसेंस होना उचित पोशाक में होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्षकार को यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक द्वारा प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रण अधिकारी के निर्देशों का पालन किया जायेगा एवं वाहन चालक द्वारा नशे की हालत में वाहन चालन नहीं किया जायेगा, ऐसा पाये जाने पर अथवा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर बंधक राशि को जब्त कर तत्काल प्रभाव से अनुबंध निरस्त करने एवं फर्म को ब्लैक लिस्टेड घोषित करने का पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष के पास सुरक्षित रहेगा। प्रथम पक्ष पर द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये वाहन चालक का कोई विधिक दायित्व नहीं होगा।

9- पर्यवेक्षण दल/अधिकारी को वाहन के प्रयोग के समय किसी भी प्रकार की हानि के लिये सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा, किसी भी दशा में प्रथम पक्ष का इस हेतु कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

10- द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन के सापेक्ष भुगतान निर्धारित देयक प्रपत्र/बिल पर वाहन संख्या विवरण तथा लॉग-बुक की सत्यापित प्रति संलग्न कर प्रत्येक माह की पंचमी तारीख को प्रस्तुत किये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा 10 कार्य दिवस के अन्दर (बजट उपलब्ध होने की दशा में) अर्थात् प्रत्येक माह की 15वीं तारीख तक किया जायेगा।

11- द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन सेवा संतोषजनक प्रदान नहीं किये जाने पर प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से स्पष्टीकरण प्राप्त करने एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अधिकार होगा।

12- यह अनुबंध शासन द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में अथवा उल्लिखित शर्तों के पालन नहीं किये जाने पर अनुबंध अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है।

स्थान- अलीगढ़।

दिनांक- 15 अप्रैल, 2018

हस्ताक्षर.....  ..... (प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर.....  ..... (द्वितीय पक्ष)

साक्षीगण-

नाम-  ..... हस्ताक्षर  .....

नाम-  ..... हस्ताक्षर  .....

जनपद अलीगढ़ में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम में लगाये गये वाहनों की सूची

क्रम संख्या	स्थान	वाहन संख्या	गाड़ी प्रकार	मॉडल वर्ष
1	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी	UP81 BT 7734	बोलेरो	2017
2	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी	UP81 BT 3561	इण्डिगो	2015
3	सामु0स्वा0केन्द्र छर्ता	UP81 BT 9189	बोलेरो	2017
4	सामु0स्वा0केन्द्र बिजौली	UP81 BT 5199	बोलेरो	2016
5	सामु0स्वा0केन्द्र अतरोली	UP14 ET 8974	इण्डिगो	2015
6	सामु0स्वा0केन्द्र खैर	UP81 CT 0921	इण्डिगो	2018
7	सामु0स्वा0केन्द्र हरदुआगंज	UP82 T 5779	जैस्ट	2017
8	सामु0स्वा0केन्द्र इगलास	UP81 CT 0837	इण्डिगो	2017
9	सामु0स्वा0केन्द्र लोधा	UP81 BT 1815	इण्डिका	2014
10	सामु0स्वा0केन्द्र गोंडा	UP81 BT 2777	इण्डिगो	2015
11	सामु0स्वा0केन्द्र टप्पल	UP81 BT 2847	इण्डिगो	2015
12	सामु0स्वा0केन्द्र चण्डौस	DL1 RT 1160	वैगन आर	2017
13	सामु0स्वा0केन्द्र अकराबाद	UP86 T 2789	बोलेरो	2014
14	सामु0स्वा0केन्द्र जवाँ	UP81 BT 3146	इण्डिगो	2015

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित।

दिनांक- 24-7-18

भवदीय

*डालचंद*

(डालचंद)

मै0 भारत ट्रैवलिंग एजेंसी,  
मानिक चौक, अलीगढ़।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 195457

**AGREEMENT DEED**

This agreement made on 1<sup>st</sup> April, 2018 BETWEEN M/s G.P. Services, 5/80 Nagla Barola Bypass Road, Aligarh through its proprietor Shri Teekam Singh Suryawnshi (hereinafter called the "Owner") of the one part, AND The Additional Director, Medical Health and Family Welfare, Aligarh Division, Aligarh (hereinafter called the "Hirer") of the other part.

WHEREAS the owner is the sole proprietor of the firm run under the name of G.P. Services, 5/80 Nagla Barola Bypass Road, Aligarh duly registered and having its registered office in Aligarh.

AND WHERE the hirer has agreed to take and the Owner has agreed to let the hire a four wheeler vehicle No. UP 81 BG 0675 on monthly contractual basis for period of about twelve months upto 31<sup>st</sup> March, 2019 till the Quotation invited.

NOW THIS AGREEMENT WITNESS as follows :-

1. That the hirer shall pay to the owner as the hire of said vehicle the sum of Rs. 30,000/- (Rs. Thirty Thousand Only) at the end of month after submission of bill.
2. That the Hirer shall not do any act or thing where by the said vehicle may be sized or taken under legal process or any other law full authority.
3. That Hirer shall use the said vehicle for the purpose of journey up to 2000 km. in a month for which a sum of Rs. 30,000/- (Rs. Thirty Thousand Only) is to be paid by the Hirer to the Owner. For extra Kilometers an amount of Rs. 10 per km. shall be charged.
4. The Hirer shall pay an amount of Rs. 100/- for night stay of driver.
5. The Owner has to bear the salary of driver, POL expenses, wear & tear of the vehicle, maintenance, taxes, toll tax and all other expenses on the vehicle.
6. The driver shall wear neat and clean dress while on duty and shall not consume alcohol during duty period.

Fot: M/s G.P. Services

अपर निदेशक  
चि० स्वा० एवं परि० क०  
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़

Count 2



7. The vehicle should have taxi permit and all concerned certificates to be deposit prior to the contract.
8. The vehicle will be provided from 8:00 AM sharp to 5:00 PM daily and any time in case of emergency.
9. If vehicle becomes out of order the Owner shall provide another at his own cost and in case of failure to do show the alternative vehicle will be arranged by Hirer and the expenses there of shall deducted from the bill for the said one.
10. The driver of the said vehicle shall keep valid license, insurance papers and other relevant documents of vehicle.
11. The Owner of vehicle shall be fully responsible for safety, security and parking of the vehicle.

IN WITNESS WHEREOF the parties here to have signed this agreement deed at Aligarh in presence of witness on the date and year first above mentioned.

Witnesses :-

1. Shri Shiv Ram Jatav

Sr. Assistant



Signature :-

1.

2. Rishi Pal Singh

S/o Netrapal Singh

Usmanpur, Atroli, Aligarh




Signature :-

2.

Owner : G.P. Services

**Fcty. M/s G.P. Services**

Signature :- (Tikam Singh)




Hirer : Additional Director

Medical Health and Family Welfare

Aligarh Division, Aligarh

अपर निदेशक  
चि० स्वा० एवं परि० क०  
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़

Signature :- (Dr. Kuldeep)



अपर निदेशक  
चि० स्वा० एवं परि० क०  
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 195457

**AGREEMENT DEED**

This agreement made on 1<sup>st</sup> April, 2018 BETWEEN M/s G.P. Services, 5/80 Nagla Barola Bypass Road, Aligarh through its proprietor Shri Teekam Singh Suryawnshi (hereinafter called the "Owner") of the one part, AND The Additional Director, Medical Health and Family Welfare, Aligarh Division, Aligarh (hereinafter called the "Hirer") of the other part.

WHEREAS the owner is the sole proprietor of the firm run under the name of G.P. Services, 5/80 Nagla Barola Bypass Road, Aligarh duly registered and having its registered office in Aligarh.

AND WHERE the hirer has agreed to take and the Owner has agreed to let the hire a four wheeler vehicle No. UP 81 BG 0675 on monthly contractual basis for period of about twelve months upto 31<sup>st</sup> March, 2019 till the Quotation invited.

NOW THIS AGREEMENT WITNESS as follows :-

1. That the hirer shall pay to the owner as the hire of said vehicle the sum of Rs. 30,000/- (Rs. Thirty Thousand Only) at the end of month after submission of bill.
2. That the Hirer shall not do any act or thing where by the said vehicle may be sized or taken under legal process or any other law full authority.
3. That Hirer shall use the said vehicle for the purpose of journey up to 2000 km. in a month for which a sum of Rs. 30,000/- (Rs. Thirty Thousand Only) is to be paid by the Hirer to the Owner. For extra Kilometers an amount of Rs. 10 per km. shall be charged.
4. The Hirer shall pay an amount of Rs. 100/- for night stay of driver.
5. The Owner has to bear the salary of driver, POL expenses, wear & tear of the vehicle, maintenance, taxes, toll tax and all other expenses on the vehicle.
6. The driver shall wear neat and clean dress while on duty and shall not consume alcohol during duty period.

Fot: M/s G.P. Services

अपर निदेशक  
चि० स्वा० एवं परि० क०  
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़

Count 2



7. The vehicle should have taxi permit and all concerned certificates to be deposit prior to the contract.
8. The vehicle will be provided from 8:00 AM sharp to 5:00 PM daily and any time in case of emergency.
9. If vehicle becomes out of order the Owner shall provide another at his own cost and in case of failure to do show the alternative vehicle will be arranged by Hirer and the expenses there of shall deducted from the bill for the said one.
10. The driver of the said vehicle shall keep valid license, insurance papers and other relevant documents of vehicle.
11. The Owner of vehicle shall be fully responsible for safety, security and parking of the vehicle.

IN WITNESS WHEREOF the parties here to have signed this agreement deed at Aligarh in presence of witness on the date and year first above mentioned.

Witnesses :-

1. Shri Shiv Ram Jatav

Sr. Assistant



Signature :-

1.

2. Rishi Pal Singh

S/o Netrapal Singh

Usmanpur, Atroli, Aligarh




Signature :-

2.

Owner : G.P. Services

**Fcty. M/s G.P. Services**

Signature :- (Tikam Singh)




Hirer : Additional Director

Medical Health and Family Welfare

Aligarh Division, Aligarh

अपर निदेशक  
चि० स्वा० एवं परि० क०  
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़

Signature :- (Dr. Kuldeep)



अपर निदेशक

चि० स्वा० एवं परि० क०  
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़